भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 582**
दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

**नांदयाल जिले में जेजेएम के अंतर्गत पाइपयुक्त जल अवसंरचना**

**†582. डॉ. बायरेड्डी शबरीः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत पाइप द्वारा जल की आपूर्ति के लिए स्थापित की जाने वाली अवसंरचना हेतु नांदयाल जिले में कुल कितने गांवों की पहचान की गई है;
(ख) एकल ग्राम योजनाओं (एसवीएस), बहु-ग्राम योजनाओं (एमवीएस) अथवा सौर ऊर्जा से युक्त स्टैंड-एलोन प्रणालियों के माध्यम से कनेक्शन प्रदान करके कितने गांवों को पाइप द्वारा जलापूर्ति से जोड़ा गया है;
(ग) केन्द्र और राज्य सरकारों के अंशदान सहित इन योजनाओं के लिए कुल कितना व्यय किया गया है;
(घ) उक्त योजनाओं की वर्तमान प्रचालनात्मक स्थिति क्या है और कौन-कौन से कार्य चल रहे हैं, उनके कार्यान्वयन में कितना विलंब हुआ है अथवा इसमें क्या-क्या चुनौतियां हैं;
(ङ) इन योजनाओं के अंतर्गत नांदयाल जिले में कुल कितने ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्राप्त हुए हैं और एफएचटीसी की शत-प्रतिशत घरेलू कवरेज प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है; और
(च) जेजेएम के अंतर्गत नांदयाल में कितने गांवों में ग्रेवाटर प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है और ग्रेवाटर शोधन और पुनः उपयोग के लिए चल रही पहलों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख) भारत सरकार अगस्त 2019 से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रही है। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के तहत की योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन,

कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की सूचना के अनुसार, नांदयाल जिले के सभी 427 गांवों को जेजेएम के तहत पाइपगत जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे के लिए अभिचिह्नित किया गया है। 427 गांवों में से 349 गांवों में एकल-ग्राम-योजना (एसवीएस) से और 78 गांवों में बहु-ग्राम योजनाओं (एमवीएस) से जल आपूर्ति करने की योजना बनाई गई है।

(ग) जेजेएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि सीधे जारी की जाती है और उनका आगे का जिलावार आवंटन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ही किया जाता है तथा उनका रखरखाव भारत सरकार के स्तर पर नहीं किया जाता है। जेजेएम के शुभारंभ के बाद से, आंध्र प्रदेश को 16,855.67 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से राज्य ने केवल 2,254.89 करोड़ रुपये आहरित किए हैं।

इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, नांदयाल जिले में योजनाओं के लिए कुल व्यय 23,969.64 लाख रुपये है, जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया जाता है।

(घ) नांदयाल जिले में जल जीवन मिशन के तहत 1612 योजनाएं शामिल की गई हैं। सभी योजनाओं के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। 1,612 योजनाओं में से 5 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 1,607 योजनाओं का कार्य जारी है। योजनाओं को पूरा करने में अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य के हिस्से की समय पर अनुपलब्धता एक बड़ी बाधा रही है।

नांदयाल जिले के ग्रामीण परिवारों सहित राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने में तेजी लाने के लिए, जमीनी स्तर पर जेजेएम के कार्यान्वयन की गति को तेज करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। इनमें राज्य सरकार के साथ नियमित आधार पर उच्च स्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठकें आयोजित करना और समयबद्ध तरीके से सभी परिवारों के लिए नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मिशन मोड में कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को उजागर करने हेतु विभाग से बहु-विषयक टीमों के दौरे जैसे उपाय शामिल हैं।

(ङ) राज्य सरकार की सूचना के अनुसार, नांदयाल जिले में, जेजेएम की शुरुआत में, 1,22,973 ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, 1,36,661 और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 25.11.2024 तक, जिले के 3,46,130 ग्रामीण परिवारों में से 2,59,634 (75.01%) ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि नांदयाल जिले के ग्रामीण परिवारों सहित सभी ग्रामीण परिवारों को मार्च, 2027 तक नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

(च) राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जेजेएम के तहत कोई ग्रेवाटर प्रबंधन प्रणाली लागू नहीं की गई है। तथापि, एसबीएम (जी) आईएमआईएस पर रिपोर्ट के अनुसार, नांदयाल जिले में 129 गांव ऐसे हैं जहां ग्रेवाटर प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है और 30 गांवों में ग्रेवाटर प्रबंधन प्रणालियों के कार्य पूर्ण हो गए हैं। जिले में फाइटोरिड, डीवेट्स, वेटलैंड्स, डकवीड तालाब और 40 डब्ल्यूएसपी-3/5-तालाब प्रणाली का उपयोग करके 91 सामुदायिक स्तर की ग्रेवाटर प्रबंधन प्रणालियां क्रियान्वित की गई हैं। इसके अलावा, जिले में 6,191 घरेलू स्तरीय ग्रेवाटर प्रबंधन प्रणालियां जैसे कि सोक पिट्स, लीच पिट्स, मैजिक पिट्स, किचन गार्डन क्रियान्वित की गई हैं।

****